समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 08-12-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

पंजी के अनुसार।

2-अनुपस्थित पदाधिकारी

1-उप विकास आयुक्त, मधेपुरा, 2-जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा, 3-सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा, 4-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज, 5-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा, 6-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज, 7-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सिंहेश्वर, 8-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा/ सहरसा, 9-खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मधेपुरा/ सहरसा, 10-जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा, 11-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा, 12-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा, 13-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर (सुपौल), 14-परिचारी प्रवर, मधेपुरा, 15-जिला समादेष्टा, मधेपुरा, 16-क्षेत्र प्रबंधक, इफको, मधेपुरा, 17-जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्थापना, मधेपुरा एवं 18-डॉ0 बी0के0 जयसवाल, कृषि विज्ञान केन्द्र, मधेपुरा बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

3-बिना पूर्वानुमति/ पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारी के विरूद्ध कारण पृच्छा एवं वेतन स्थगित रखने का निर्देश

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा सोमवारीय बैठक से बिना किसी पूर्व सूचना /पूर्वानुमति के मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अनुपस्थित तिथि	अभ्युक्ति
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।
2	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मधेपुरा	01-12-14 एवं 08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।
3	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा	08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।
4	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज	08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।
5	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा	08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।

6	सहायक अभियंता, पुल निर्माण निगम लि0, सहरसा/मधेपुरा	01-12-14 एवं 08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।
7	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर (सुपौल)	01-12-14 एवं 08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।
8	कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा	01-12-14 एवं 08-12-14	इनके स्थान पर इन्सपेक्टर बैठक में भाग लिये तथा कार्यपालक पदा0, अजाविनी एक भी बैठक में भाग नहीं लिए हैं।
9	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	01-12-14 एवं 08-12-14	बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित।

जिलाधिकारी द्वारा क्र0-01, 02, 03, 04, 05, 06 पर अंकित पदाधिकारियों से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। साथ ही क्रमांक-07, 08 एवं 09 पर अंकित पदाधिकारी, जो मधेपुरा जिला के प्रभार के साथ-साथ अन्य जिलों के भी प्रभार में है, उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए संबंधित जिलाधिकारी को वेतन स्थगित रखने हेतु कार्रवाई हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया।

(अनुपालन-कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा /सभी संबंधित पदा0)

4-कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

5-आई0सी0डी0एस0

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में 31 दिसम्बर, 2014 तक जिले में आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका की बहाली संबंधी कार्यो को पूर्ण कर लिया जाना है, इस हेतु विभिन्न तिथि निर्धारित कर आम सभा करने हेतु विस्तृत कार्यक्रम अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्गत किया गया है, किन्तु ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा आम सभा की तिथि बदल कर दूसरी तिथि निर्धारित की गयी है, जबकि उच्चाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गयी है। यह भी बताया गया कि संबंधित आवेदिका द्वारा यह सूचना दी गयी कि उन्हें बदले गये आमसभा की तिथि का कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए अपने मंतव्य के साथ उपलब्ध कराया जाए कि उच्चाधिकारी द्वारा निर्धारित आमसभा की तिथि को बिना किसी औचित्य के बदलने तथा उच्चाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दिए जाने के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की समीक्षा की गयी कि आंगनवाड़ी केन्द्र भवन कितनी जगह बन रहा है तथा क्या स्थिति है, तो इस संबंध में संतोषजनक उत्तर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा नहीं दिया जा सका। निदेश दिया गया कि इसकी जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन दें कि आंगनवाड़ी केन्द्र भवन की स्थिति क्या है तथा कितनी जगह बन रही है।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा)

6–आधार कार्ड

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आये दिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि आधार कार्ड बनाने में अवैध राशि की मांग की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आधार पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, फॉर्म, फॉर्म भरने, पंजीकरण और पहचानकर्ता की सहायता के लिए किसी को पैसे नहीं दिया जाना है। आधार संख्या नवजात से लेकर सभी उम्र के व्यक्ति के लिए है। पंजीकरण के बाद पावती रसीद जरूर प्राप्त किया जाए। पावती रसीद में दर्ज की गयी जानकारी अवश्य रूप से जांच कर लें। यदि कोई गलती हो तो ऑपरेटर को उसी समय सुधार करने को कहें। आधार पंजीकरण सभी निवासियों, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए भी है। ऑपरेटर को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का मोबाईल संख्या अवश्य दें। आधार जीवन में सिर्फ एक बार बनता है, इसलिए जब तक कहा न जाए दोबारा पंजीकरण नहीं करावें। साथ ही वांछित कागजात आवश्यक रूप से पंजीकरण के लिए ले कर जायें। जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार कराया जाए, ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि जिले में आधार कार्ड बनाने वाले एजेन्सी पर ध्यान रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की अवैध राशि नहीं वसूल सके तथा शत–प्रतिशत व्यक्तियों का आधार कार्ड बना सके।

7–मध्याहन भोजन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक कार्य दिवस, प्रत्येक उपस्थित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण मध्याहन भोजन योजना कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया है तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है :–

- **विद्यालय शिक्षा समिति की रूपरेखा** :– बताया गया कि विद्यालय शिक्षा समिति की रूपरेखा एवं समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों के द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाना है तथा समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अनिवार्य रूप से किए जाने का प्रावधान है।
- **भोजन को चखना** :– प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के भोजन ग्रहण करने के आधा घंटा पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक, वरीयतम शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के एक सदस्य तथा रसोईया –सह– सहायक के द्वारा खाने का चखा जाना अनिवार्य है। खाने में किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ /कीड़ा (छिपकली) आदि नहीं पड़े, इसका ध्यान अवश्य रखा जाना है।
- **पोषाहार पंजी** :– प्रत्येक विद्यालय में एक पोषाहार पंजी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की दिशा में यह आवश्यक है कि पोषाहार पंजी का अवलोकन किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किये जाने का अवसर दिया जाए। इस पंजी में खाद्यान्न, राशि के साथ–साथ लाभान्वितों की विवरणी भी उपलब्ध रहना चाहिए।
- **मध्याहन भोजन का निर्धारित मीनू** :– बताया गया कि मध्याहन भोजन का निर्धारित मीनू निम्न प्रकार है, जिसे हरहाल में लागू किया जाए :–

सोमवार	–	चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जी
मंगलवार	–	जीरा चावल + सोयाबीन आलू की सब्जी

बुधवार	–	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा
वृहस्पतिवार	–	चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जी
शुक्रवार	–	पुलाव + काबुली चना /लाल चना का छोला + हरा सलाद
शनिवार	–	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा

- **साफ-सफाई एवं सुरक्षा** :- बताया गया कि साफ-सफाई एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि –
    - मध्याह्न भोजन तैयार करने के पूर्व रसाईया अपना हाथ पैर एवं मुंह साबुन से साफ कर सूती कपड़ा से पोछ लें।
    - मध्याह्न भोजन तैयार करते समय इस बात के लिए सतर्क रहें कि कोई भी बाहरी वस्तु जैसे- कीट, फतिंगे, छिपकिली, बाल अथवा अन्य कोई वस्तु भोजन में नहीं जाये।
    - सतर्कता के बावजूद यदि बाहरी वस्तु भोजन में गिर जायें अथवा भोजन के विषाक्त होने का संशय भी हो तो सभी भोजन को अविलम्ब गहरा गड्डा खोदकर मिट्टी से ढक दिया जाए।
    - मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के उपरान्त यदि बच्चों के पेट में दर्द, उल्टी, बेहोशी आदि के लक्षण दृष्टिगोचर हो तो अविलम्ब इस आशय की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय थाना, निकटवर्ती डॉक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी एवं एम्बुलेंस सेवा प्रदाता (दूरभाष संख्या-102/108) को दी जाए।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उपरोक्त निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करावें। यह भी निदेशित किया गया कि मध्याह्न भोजन योजना में पूर्व में व्यापक गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी, फलस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना का पंजी जांच करें तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, मधेपुरा)

8-शिक्षा

❖ **छात्रवृति /प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-681, दिनांक- 01-12-2014 द्वारा दिनांक 15-12-2014 से 30-12-2014 तक निर्धारित अवधि में निम्नांकित योजना के वितरण से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं यथा- उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध राशि की निकासी /जिले में प्रखंडवार, विद्यालयवार कार्यक्रम का निर्धारण करने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि सभी दस प्रकार के यथा- 1-सभी कोटि के छात्राओं की छात्रवृति, 2-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्री-मैट्रिक छात्रवृति, 3-मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना, 4-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्री-मैट्रिक, 5-मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना, 6-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, 7-मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, 8-मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 9-बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, 10-मुख्यमंत्री बालक बालिका साईकिल योजना आदि पर आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि विद्यालयवार विद्यार्थियों की संख्या सहित सूची की मांग की गयी थी, किन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, फलस्वरूप जिला संयुक्त आदेश निर्गत करने में कठिनाई हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि आज ही उक्त सूची जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध

कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि मदवार जितना आवंटन की आवश्यकता है, उसका आकलन कर अधियाचना विभाग को अविलम्ब भेजे। यह भी निदेश दिया गया कि राशि नहीं घटे, इसके लिए अभी से ही सारी तैयारी सुनिश्चित कर लिया जाए। वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग), मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा के सहयोग से सभी बैंक शाखा को निदेशित किया जाए कि उक्त राशि के वितरण हेतु सारी तैयारी अभी से ही कर लिया जाए तथा राशि नहीं घटे इसे सुनिश्चित करावें।

सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे भी अपने-अपने प्रखंड की जांच कर विभिन्न छात्रवृति /प्रोत्साहन राशि के वितरण संबंधी छात्रों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर प्रतिवेदन देंगे।

❖ **टेस्ट परीक्षा** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इंटर एवं माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सूची की मांग की गयी थी, किन्तु वांछित सूची अभी तक अप्राप्त है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वैसे विद्यार्थी, जो इस आगामी इंटर /माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसकी सूची जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए तथा उसकी सूची (विस्तृत कार्यक्रम सहित) आज ही जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा में उपलब्ध कराया जाए, ताकि तिथि निर्धारित कर टेस्ट परीक्षा एक ही साथ आयोजित की जा सके तथा जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को उक्त परीक्षा में ड्यूटी लगाया जा सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को निदेशित करें।

❖ **ग्रुप 'डी' की बहाली** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि शिक्षा विभाग अन्तर्गत ग्रुप-'डी' की बहाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है तथा बहाली के नाम पर अवैध राशि की उगाही की जा रही है। बताया गया कि सर्वशिक्षा में संविदा पर प्रतिनियुक्त श्री ब्रजेश कुमार द्वारा उक्त कार्य को अंजाम दिये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है तथा उनके द्वारा लोगों से बहाली के नाम पर एवं अन्य कार्य करवाने के नाम पर अवैध राशि वसूली जा रही है, जिस पर खेद व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि जब तक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उक्त कर्मी की प्रतिनियुक्ति जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा में अविलम्ब करें। साथ ही उक्त कर्मी को नोटिस निर्गत करें कि उक्त कृत्य के लिए क्यों नहीं उनकी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि उक्त बहाली में पूरी पारदर्शिता लावें तथा सभी संबंधित आवेदकों को बी0एन0मंडल स्टेडियम में साईकिल चलाकर सभी वांछित अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त ही विधिसम्मत् तरीके से चयन किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री विनय कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, जो ग्रुप-'ड' की नियुक्ति के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य रहें है, को निदेश दिया गया कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करावें। श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा अपने पर्यवेक्षण में ही चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाए।

❖ **भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7882, दिनांक-25-11-2014 द्वारा भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सभी नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने /अधिग्रहण करने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा तथा प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा को निदेश दिया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ

ही अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

❖ **मुख्यमंत्री पोशाक योजना** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-26, दिनांक 01-12-2014 द्वारा मुख्यमंत्री बालक /बालिका साइकिल योजना, प्रोत्साहन योजना, पोशाक योजना एवं छात्रवृति योजना का दिनांक 15-12-14 से 30-12-14 तक निर्धारित अवधि में वितरण कार्यक्रम की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करावें, ताकि जिला स्तर से संयुक्त आदेश निर्गत किया जा सके।

❖ **मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25 प्रतिशत नामांकित बच्चों के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक (प्रा0शि0), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1357, दिनांक-01-12-2014 द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत नामांकित बच्चों के लिए शूल्य की राशि की प्रतिपूर्ति करने का निदेश दिया गया है। साथ ही विभाग द्वारा संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही 25 प्रतिशत बच्चों का विद्यालयवार सूची (फोटो के साथ) जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 25 प्रतिशत बच्चों में से कोई भी बच्चा विद्यालय के स्टाफगण का संबंधी नहीं हो।

❖ **श्री गोपाल मिश्र, स0शि0 की अनुपस्थिति** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, सुखासन, मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि श्री गोपाल मिश्र, स0शि0, आदर्श म0वि0, सुखासन द्वारा अपने कर्त्तव्य से दिनांक 31-10-2014 से ही बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, फलस्वरूप उक्त शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त शिक्षक से कारण पृच्छा पूछते हुए अपने मंतव्य के साथ तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन दें। साथ ही जिलान्तर्गत जितने भी शिक्षक /सहायक शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनका प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विद्यालय में पदस्थापन किया जाए तथा अनुपालन से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत करायेंगे।

❖ **उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना :-** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1556, दिनांक-04-12-2014 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के संबंध में वांछित सूची दिनांक 09-12-2014 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वांछित सूची ससमय विभाग को भेंजे तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /अनु0पदा0, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /अपर समाहर्त्ता)

9-नगर परिषद्

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजना हेतु नगर परिषद् कार्यालय में 11 दिसम्बर, 2014 को कैम्प आयोजित किया जाएगा। समीक्षा के क्रम में

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त योजना का प्लानिंग क्या है, कितनी योजनायें ली गयी है, संबंधित लाभुकों की संख्या आदि की सूची आदि जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराया जाए तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें। साथ ही नगर परिषद् के सभी Assets की फोटोयुक्त सूची, विभिन्न योजनाओं से आच्छादित लाभुकों की सूची भी वेबसाईट पर प्रकाशित की जाए।

(अनुपालन-कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा)

10-आपूर्ति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मे0 जयराम स्मृति इंडियन, गैस एजेन्सी के यहां एस0एम0एस0 के माध्यम से बूकिंग करने के पश्चात् बूकिंग नम्बर पर किसी अन्य व्यक्ति को गैस का डिलीवरी कर दिया गया, फलस्वरूप उक्त एजेंसी के दूरभाष पर सम्पर्क करने पर बताया गया कि गैस का डिलीवरी कर दिया गया है। दुबारा पूछ-ताछ करने पर उक्त एजेंसी का दूरभाष नम्बर इंगेज कर दिया गया तथा बाद में वहां जाने पर पाया गया कि टेलिफोन का रिसिवर हटाकर अलग रख दिया गया है। पूछने पर बताया गया कि बहुत सारे फोन आते हैं, इसलिए रिसिवर को अलग रख दिया जाता है। बैठक में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त एजेंसी के स्टॉक का निरीक्षण करें तथा दोषी कर्मी के विरूद्ध के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा)

11-पथ निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा साप्ताहिकी प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत विभिन्न रोड यथा- आलमनगर-बुधमा-मालिकचौक, खुरहान-पड़ैल-रतवारा-कपसिया, ग्वालपाड़ा-अलतख, किशुनगंज-बिहारीगंज, सुपौल-सिंहेश्वर रोड, पूर्णियॉ-सहरसा रोड, एन0एच-106 एवं एन0एच-107 पश्चिमी बायपास रोड, कर्पूरी चौक-पतरघट रोड, मुरलीगंज-बभनगामा-बिहारीगंज रोड, किशुनगंज-बिहारीगंज रोड, करामा-आलमनगर रोड, आलमनगर-बुधमा-मालिकचौक रोड, किशुनगंज-चौसा रोड, चौसा-लौआलगान विजयाघाट रोड, ग्वालपाड़ा-अलतख रोड, खुरहान-परैल-रतवारा रोड, खुरहान-पडैल-रतवारा-कपसिया आदि रोड में मैनटेनेंस का कार्य चल रहा है। बताया गया कि उक्त पथ की गुणवत्ता अच्छी तरह से रखना है। सभी अभियंताओं से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों का निर्माण कार्य अच्छी तरह से हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कर्पूरी चौक-पतरघट रोड (रैलवे क्रोसिंग) के पास काफी गड्डा बना हुआ है, जिसके कारण वाहनों को दुसरी साईड से मोड़ कर घुमाना पड़ता है, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त गड्डे को अविलम्ब भरे तथा अनुपालन से अवगत करावें।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रोड साईनेज मुख्य-मुख्य सड़क /चौक के पास लगाना अति आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घट सके। बताया गया कि रोड साईनेज रैडियम पेंट्युक्त हो, जो रात /कुहासा में भी साफ-साफ नजर आ सके। जिला परिवहन

पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिले के मुख्य मार्गो पर जहां-जहां रोड साईनेज की आवश्यकता हो, वैसे स्थल को चिन्हित करें तथा वहां यदि साईनेज नहीं लगा हो तो प्रतिवेदन दें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभि0, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला परिवहन पदा0, मधेपुरा)

12-सांसद आदर्श ग्राम योजना

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बालम गढ़िया ग्राम पंचायत अन्तर्गत सभी 14 पदाधिकारियों द्वारा एक-एक वार्ड को आवंटित कर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए भी अपने-अपने विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन /अनुश्रवण कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, किन्तु मात्र जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा ही निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, शेष पदाधिकारियों से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिस पर खेद प्रकट किया गया।

क्र0	वार्ड के प्रभारी पदाधिकारी	आवंटित वार्ड संख्या	वरीय प्रभारी पदाधिकारी
1	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा	01	अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा
2	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	02	
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	03	
4	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	04	
5	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा	05	अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा
6	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	06	
7	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा	07	
8	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा	08	
9	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा	09	
10	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	10	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
11	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	11	
12	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा	12	
13	जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा	13	
14	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा	14	

पुनः सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने वार्ड का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराया जाए। अन्य विभागीय पदा0 यथा-सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदा0, महाप्रबंधक, उद्योग केन्द्र, निदेशक, आर0सेटी, जिला कृषि पदा0, जिला आपूर्ति पदा0, कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा, कार्य0अभि0, पी0एच0ई0डी0 /विद्युत/ सिंचाई प्रमण्डल, डी0पी0एम0, जीविका, सहायक अवर प्र0,दूरभाष, जिला पशुपालन पदा0, जिला गव्य विकास पदा0, राष्ट्रीय बचत पदा0, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला वन पदा0, श्रम अधीक्षक, मधेपुरा आदि द्वारा भी कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। *(अनुपालन-सभी संबंधित पदा0)*

13-कल्याण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2161, दिनांक-26-11-2014 द्वारा मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से करने संबंधी प्रस्ताव मंतव्य के साथ विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुमारखंड प्रखंड में उक्त छात्रवृति वितरण में अनियमितता बरती गयी थी, फलस्वरूप आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि के भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो सकती है। अतएव जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से करने संबंधी

प्रस्ताव विभाग को दिया जाए कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो सकती है।

14-विकलांग छात्रवृति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विकलांगजनों को छात्रवृत्ति दिए जाने का विभाग द्वारा निदेशित किया गया है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करें तथा नियमानुसार कार्रवाई कर अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-सहायक निदेशक, सा0सु0को0)

15-विद्युत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा के पत्रांक-1388, दिनांक-29-11-2014 द्वारा Regarding Permission for PCC Road cutting for 33 kv & 11 kv underground cable crossing work under BRGF-Phase-1 के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मधेपुरा तथा सहायक अवर प्रमण्डल, दूरभाष, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जांच-पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

समीक्षा के क्रम विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा का पत्रांक-1410, दिनांक-02-12-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागवार विद्युत ऊर्जा के बकाया राशि संबंधी विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विभाग यथा- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, मुरलीगंज /मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /सहायक अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज में अत्यधिक राशि बकाया है। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित विद्युत विभाग के बकाया राशि नियमानुसार जमा किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त सूची में विभिन्न विभाग के नाम /पता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। अतएव स्पष्ट नाम /पता पूर्ण विवरणी के साथ सभी संबंधित विभाग को उक्त पत्र अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाए तत्पश्चात् उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

(अनुपालन-कार्य0अभि0, विद्युत /सभी संबंधित पदा0)

16-सहकारिता /आपूर्ति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना के पत्रांक-772, दिनांक-02-12-2014 द्वारा धान अधिप्राप्ति वर्ष 2014-15 खरीफ विपणन मौसम अन्तर्गत पैक्सों को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि

विभागीय निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-जिला आपूर्ति पदा0 /जिला सहकारिता पदा0)

17-पंचायत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7471, दिनांक-29-11-2014 द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सीनीय निकायों पर प्रकाशित किये जाने वाले ड्राफ्ट पैराग्राम "Functioning of Zila Parishad" के संबंध में कार्रवाई कर प्रतिवेदन दिनांक 15-12-2014 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन ससमय विभाग को भेजा जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

(अनुपालन-जिला पंचायत राज पदा0, मधेपुरा)

18-आपदा

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4289/आ0प्र0, दिनांक-03-12-2014 द्वारा वर्तमान वर्ष 2014-15 में शीतलहर /पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर /पाला से बचाव के उपाय संबंधी विस्तृत निदेश दिया गया है। बताया गया कि वैसे क्षेत्र जहां का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाए तथा वैसे क्षेत्र जहां सामान्य नूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाए तब उस क्षेत्र को पाला प्रभावित क्षेत्र माना जायेगा। बताया गया कि गरीब एवं निःसहायक व्यक्तियों की शीत लहर से रक्षा के लिए निम्नांकित निदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए -

- **रैन बसेरों /अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था** - शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, असाहायों, आवास विहिनों एवं सदृश्य श्रेणी के ऐसे गरीब निःसहाय व्यक्तों के रहने हेतु रैन बसेरा की समुचित व्यवस्था हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेशित किया गया।
- **कम्बल वितरण** - आवासहीन गरीबों, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच आवश्यकतानुसार कम्बल का वितरण करने का निदेश सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को दिया गया।
- **अलाव की व्यवस्था** - जिला विशेष में ज्यों ही शीतलहर प्रारंभ हो, तब गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरुप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था हेतु अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4302, दिनांक-04-12-2014 द्वारा बाढ़ प्रवण 28 जिलों एवं मुंगेर में प्राप्त मोटरबोट

के परिचालन के प्रशिक्षण के हेतु दस-दस गृह रक्षा वाहिनी, जो गृह जिला के हों के प्रशिक्षण के संबंध में सूची भेजने का निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि वांछित सूची विभाग को भेज दी गयी है।

(अनुपालन-कार्य0पदा0,नगर परिषद् /सहायक निदेशक, सा0सु0को0 /अपर समाहर्त्ता, आपदा)

19-कृषि

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-981, दिनांक-27-11-2014 द्वारा उर्वरक निरीक्षण दल गठित कर निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निरीक्षण करें तथा विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(अनुपालन-जिला कृषि पदा0, मधेपुरा)

20-परिवहन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6443, दिनांक-24-11-2014 द्वारा बस /ऑटो भाड़ा निर्धारण के संबंध में निदेश दिया गया है। बताया गया कि सभी ऑटो स्टैण्ड तथा ऑटो में भाड़ा तालिका एवं सभी बस स्टैण्ड तथा बसों में बस भाड़ा तालिका को प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा तथा मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत करावें।

(अनुपालन-जिला परिवहन पदा0 /मोटरयान निरीक्षक, मोपुरा)

21-सामान्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-876, दिनांक-21-11-2014 द्वारा एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी निदेश दिया गया है। जिला खेल पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सके। निदेश दिया गया कि जिला खेल पदाधिकारी प्रत्येक सोमवारीय बैठक में उपस्थित रहे, इसे प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-जिला खेल-कूद पदा0 /प्रभारी पदा0, सामान्य शाखा)

22-GPF Missing Contribution Report

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा **GPF Missing Contribution Report** से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

Sl. No.	Total No. of DDO's	No. of DDO's Forwarded (Missing)	Remark
1	100	100	82 rest DDO's to be forwarded (Reminder sent to all DDO)

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा **(HOM001)**	55	50	5
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्य एवं उच्च विद्यालय, मधेपुरा **(18)**	46	29	17
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा **(ANI010, ANI011)**	2	0	2
4	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा **(RWD003)**	3	0	3
5	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज **(RWD002)**	4	1	3
6	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर, जिला-सुपौल **(WAT002)**	3	1	2

सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। निदेश दिया गया कि उक्त कार्यो के निष्पादन हेतु सभी संबंधित जिलाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्राचार करने हेतु अविलम्ब कार्रवाई करें।

(अनुपालन- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

23-जनशिकायत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनशिकायत के बहुत सारे मामलें विभिन्न कार्यालयों में लंबित है, जिसका निष्पादन किया जाना अति आवश्यक है। बताया गया कि इस संबंध में प्रत्येक सोमवारीय बैठक में निदेश दिया जाता है, किन्तु इस पर किसी भी कार्यालय प्रधान द्वारा अपेक्षित प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो खेद का विषय है। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने विभाग के लंबित जनशिकायतों के संबंध में निष्पादन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदा0)

24-राईट-अप

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा तथा जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित किया गया है, जो अच्छी बात है, परन्तु अभी भी बहुत सारे पदाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित नहीं किया जाता है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त **राईट-अप** अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या-क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

25–अन्यान्य

→ **प्रेस कतरन :-** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 05-12-2014 को हिन्दुस्तान दैनिक समचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुई, जिसमें ''भोकराहा में योजनाएं दर्जनों आई, पर लाभा..........'' तथा अन्य विभिन्न बिन्दुओं यथा- ''बिजली कनेक्शन में गबन की आंशका'', ''स्टेडियम निर्माण की भी स्वीकृति'', ''अधर में एसबीआई की शाखा'', ''जलापूर्ति योजना भी है स्वीकृत'' एवं ''बनना है एपीएचसी'' संबंधी मामले प्रकाशित हुए हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित मामलों के संबंध में जांच-पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। ***(अनुपालन-सभी संबंधित पदा0)***

→ **अजाविनी** :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा बैठक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण उनके विभाग की समीक्षा नहीं की जा सके। बताया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा विगत कई सोमवारीय बैठक में भाग नहीं लिए है, जबकि उन्हें सोमवारीय बैठक में ससमय भाग लेने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था, किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अजाविनी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि एक महिला, जिसके संबंध में बिचौलिया होने की पुष्टि की गयी थी, वह कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा के कुर्सी पर बैठी हुई थी तथा अन्य कार्यालय कर्मी इधर-उधर थे। कार्यालय में संचिकायें अस्त-व्यस्त एवं बिखरी पायी गयी। कार्यालय में इस तरह के मनमाने कार्य करना, बिचौलिया को कार्यालय में बढ़ावा देना, अजाविनी कार्यालय कर्मी के लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अजाविनी कार्यालय के कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अपने मंतव्य के साथ तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध करावें। साथ ही स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर प्रस्ताव भेजा जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

निजी सहायक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा	जिलाधिकारी मधेपुरा।

Khalid 09/12/14 C. Operator

ज्ञापांक 3249 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 09/12/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,

मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Khalid 09/12/14 C.operator

09/12/14
निजी सहायक
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा

09/12/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।